Form no III

फर्द अहकाम

(नियम 133)

अज अदालत, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़

अनवान **धर्मपाल आदि बनाम रामकिशन आदि**

धारा :– 88,53 आर.टी.ए. राजस्व वाद संख्याः– 27 / 2019

30.1.19

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ।
30.1.2019	अभिभाषक वादी द्वारा वाद–पत्र पेश किया गया। वाद कार्यालय टिप्पणी के वाद प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। जरिये रजिस्टर्ड डाक व साधारण नोटिस द्वारा तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 4.2.2019 को पैश हो। (हस्ताक्षर)	
4.2.19	वादी अभि० उप०। प्रतिवादी स० 1 ता 3 भी कोर्ट में मौजूद। पार्टी सं० के वकालतनामा पेश किया। वादी एवं प्रतिवादीगण के स्वयं हाजिर आकर राजीनामा पेश किया, जो तस्दीक कर शामिल किया गया। पत्रावली वास्ते तलबी प्रति० 4 व 5 दिनांक 8.2.19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	धर्मपाल, सुरजमल, I know Vasundara, रामकिशन, परमजीत शर्मा, मुख्त्यार, I by me Naresh 4.2.19
8.2.19	बार संघ का कार्य स्थगन है। पत्रावली वास्ते तलबी प्रति० स० 4 व 5 दिनांक 20.2.19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
20.2.19	उभय पक्ष उप०। प्रतिवादी स० 4 व 5 भी तलबी बाद पक्ष के राजीनामा पेश होने से हित [illegible] पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 22.2.19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
22.2.19	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वादीगण का वाद-पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर सुनाया गया जो शामिल मिसल है। खाता विभाजन स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी हो। राजीनामा निर्णय व डिक्री का जुज रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो। (हस्ताक्षर)	

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी(राजस्व), हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या– 27/2019

अनवान :–

1. धर्मपाल पुत्र श्री रामकिशन पुत्र श्री मुंशीराम जाति ब्राहमण निवासी मक्कासर ।
2. सुखमन्दर पुत्र श्री रामकिशन पुत्र श्री मुंशीराम जाति ब्राहमण निवासी मक्कासर।
3. सोमप्रकाश पुत्र श्री रामकिशन पुत्र श्री मुंशीराम जाति ब्राहमण निवासी मक्कासर तहसील व जिला जिला हनुमानगढ़ (राज0)। **–– वादीगण**

बनाम

1. रामकिशन पुत्र श्री मुंशीराम जाति ब्राहमण निवासी मक्कासर तह0 हनुमानगढ़।
2. परमजीतकौर पुत्री श्री रामकिशन पत्नि श्री महेन्द्र जी जाति ब्राहमण निवासी हाउसिंग बोर्ड कालोनी, हनुमानगढ जं0 तहसील हनुमानगढ
3. शीलादेवी पुत्री श्री रामकिशन पत्नि श्री सतपाल जाति ब्राहमण निवासी जस्सी तहसील संगत जिला बठिण्डा (पंजाब)
4. तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ़।
5. ओरियन्टल बैंक ऑफ कार्म्स, शाखा हनुमानगढ जं0 जरिये शाखा प्रबन्धक

–– प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88 व 53 आर टी ए

उपस्थित :–

1. **श्री वरिन्द्र कुमार गुप्ता, अभिभाषक वादीगण।**
2. **श्री नरेशकुमार पारीक, अभिभाषक प्रतिवादी सं0 1 से 3।**

निर्णय **दिनांक :–** 22.2.2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने दिनांक 30.01.2019 को विरूद्व प्रतिवादीगण वाद अन्तर्गत धारा 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आश्य का पेश किया कि तहसील हनुमानगढ के चक नं0 2 के एन जे खाता संख्या 209/180 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में 1.265 हैक्टयर कृषि भूमि मय गैर मुमकिन रास्ता व खाला व चक 1 एम ओ डी के खाता संख्या 105/105 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 2.985 हैक्टयर मय गैर मुमकिन खाला प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की स्वयं पैदाकर्दा सम्पति न होकर वादीगण के दादा श्री मुंशीराम के प्राप्त सम्पति है व जद्दी जायदाद है तथा जद्दी जायदाद होने से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 बहिस्सा बराबर अर्थात प्रत्येक 1/6–1/6 हिस्सा के हकदार है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने चक 2 के एन जे में अपना मिलने वाला हक विरास्तन पक्षकारान की सहमति से वादी संख्या 1 के पक्ष में .055 है0, वादी संख्या 2 के पक्ष .105 है0 व वादी संख्या 3 के पक्ष में .156 है0 तर्क किया हुआ हैं व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने दोनो चकों में अपना मिलने वाला हक विरास्तन अर्सा दराज पूर्व वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में बहिस्सा बराबर मौखिक तर्क किया हुआ है, इस प्रकार वाद–पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजी चक 2 के एन जे की 1.265 हैक्टयर भूमि के वादी सं0 1 धर्मपाल .372 है0 मय गैर मुमकिन, वादी संख्या 2 सुखमन्दर .421 है0 मय गैर मुमकिन व वादी संख्या 3 सोमप्रकाश .472 है0 मय गैर मुमकिन भूमि के हकदार खातेदार है व चक 1 एम ओ डी की 2.985 हैक्टयर भूमि के वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 बहिस्सा बराबर अर्थात प्रत्येक 1/4–1/4 हिस्सा के हकदार खातेदार काश्तकार है व वाद–पत्र में दर्जानुसार विभाजन करवाने के अधिकारी है।

वाद–वादीगण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने उपस्थित होकर

Scanned by CamScanner

दिनांक 4.02.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत कर मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया।

विद्वान अभिभाषक वादीगण व प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अभिभाषक वादीगण व प्रतिवादीगण ने मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। विवादित आराजी चक 2 के एन जे के खाता सख्या 209/280 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1.265 हैक्टयर कृषि भूमि है व इसी प्रकार चक 1 एम ओ डी के खाता संख्या 105/105 जमाबन्दी सम्वत् 2071–4 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 2.985 हैक्टयर भूमि मय गैर मुमकिन खाला दर्ज है। वादीगण ने वाद–पत्र में कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी विरास्तन प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई है, साक्ष्य स्वरूप वादीगण ने चक 2 के एन जे की जमाबन्दी सम्वत् 2046–48, पेश की है, जिसमें उक्त भूमि मुन्शीराम पुत्र सदाराम के नाम से दर्ज है जो प्रतिवादी संख्या 1 के पिता है तथा चक 1 एम ओ डी की पर्चा खतौनी प्रस्तुत की है जिसमें उक्त भूमि मुकन्दसिंह–जगरसिंह–नन्दसिंह पिसरान जैमल सिंह व इसर वल्द खजाना जाति ब्राहमण के नाम दर्ज है। जिससे वादग्रस्त आराजी विरास्तन आराजी होना साबित है। प्रतिवादीया संख्या 2 व 3 जो वादीगण की बहिन है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने चक 2 के एन जे में दर्ज भूमि वादीगण के पक्ष में व चक 1 एम ओ डी की भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में हक परित्याग कर दिया है। मुताबिक राजीनामा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 कृषि भूमि घरू बंटवारा में प्राप्त कर रहे है, पक्षकारों के मध्य राजीनामा होने से अब कोई विवाद नही है। अतः वाद–पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना उचित है। राजीनामा निर्णय व डिक्री का जुज रहेगा।

आदेश

अतः वादीगण का वाद–पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर प्रश्नगत् चक 2 के एन जे के खाता संख्या 209/180 की 1.265 हैक्टयर में वादी सं0 1 धर्मपाल .372 है0 मय गैर मुमकिन, वादी संख्या 2 सुखमन्दर .421 है0 मय गैर मुमकिन व वादी संख्या 3 सोमप्रकाश .472 है0 मय गैर मुमकिन भूमि के हकदार खातेदार घोषित किये जाते है व चक 1 एम ओ डी खाता संख्या 105/105 की 2.985 हैक्टयर भूमि में वादी धर्मपाल प0नं0 102/253 (22) किला नं0 8 से 10 कुल .759 है0 मय गैर मुमकिन, वादी संख्या 2 सुखमन्दर प0नं0 100/251 (8) किला नं0 21, प0नं0 99/251(9) किला नं0 25, प0नं0 99/252 (12)किला नं0 5 कुल .759 है0 मय गैर मुमकिन, वादी संख्या 3 सोमप्रकाश प0नं0 102/253 (22) किला नं011 से 13 कुल .759 है0 मय गैर मुमकिन व प्रतिवादी संख्या 1 रामकिशन को प0नं0 100/251(8) किला नं0 22–23–24/2/.051, प0नं0 102/253 (22)किला नं0 3/2/.151 कुल कुल .708 है0 मय गैर मुमकिन के हकदार खातेदार घोषित किया जाता है व वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम अलग अलग खाता व रकम कायम करने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल हो। पर्चा डिक्री जारी कर सलंग्न की जावे। बैंक ऋण चुकता होने पर डिक्री का अमल दरामद किया जावे। व्यय वाद उभय पक्ष वादीगण/प्रतिवादीगण स्वयं अपना अपना वहन करेगे।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमिल जाब्ता दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 22.2.19 को बसरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
हनुमानगढ़

(4)

डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, हनुमानगढ

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) जण्डावाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

धर्मपाल आदि बनाम रामकिशन आदि

दावा बाबत 88 व 53 आर.टी.ए राजस्व वाद संख्या– 27/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मेरे बहाजरी श्री वरिन्द्रकुमार गुप्ता एडवोकेट अधिवक्ता वादीगण व नरेशकुमार पारीक एडवोकेट अधिवक्ता प्रतिवादीगण उपस्थित होकर आदेश दिया जाता है कि वादीगण का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर यह घोषित किया जाता है कि प्रश्नगत् चक 2 के एन जे के खाता संख्या 209/180 की 1.265 हैक्टयर में वादी सं0 1 धर्मपाल .372 है0 मय गैर मुमकिन, वादी संख्या 2 सुखमन्दर .421 है0 मय गैर मुमकिन व वादी संख्या 3 सोमप्रकाश .472 है0 मय गैर मुमकिन भूमि के हकदार खातेदार घोषित किये जाते है व चक 1 एम ओ डी की 2.985 हैक्टयर भूमि में वादी धर्मपाल प0नं0 102/253 (22) किला नं0 8 से 10 कुल .759 है0 मय गैर मुमकिन, वादी संख्या 2 सुखमन्दर प0नं0 100/251 (8) किला नं0 21, प0नं0 99/251(9) किला नं0 25, प0नं0 99/252 (12)किला नं0 5 कुल .759 है0 मय गैर मुमकिन, वादी संख्या 3 सोमप्रकाश प0नं0 102/253 (22) किला नं011 से 13 कुल .759 है0 मय गैर मुमकिन व प्रतिवादी संख्या 1 रामकिशन को प0नं0 100/251(8) किला नं0 22–23– 24/2/.051, प0नं0 102/253 (22)किला नं0 3/2/.151 कुल कुल .708 है0 मय गैर मुमकिन के हकदार खातेदार घोषित किया जाता है व वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम अलग अलग खाता व रकम कायम करने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल हो। बैंक ऋण चुकता होने पर डिक्री का अमल दरामद किया जावे। व्यय वाद उभय पक्ष वादीगण/प्रतिवादीगण स्वयं अपना अपना वहन करेगे।

..........X लीज ....X.......... मुबलिग ....X.......... बातत् ....X..........

.... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ....X.......... से तारीख

वसुलयाबी ....X..........

बसिब्त मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से दिनांक22.02.2019 से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

विवरण पक्षकार

1. धर्मपाल पुत्र श्री रामकिशन पुत्र श्री मुंशीराम जाति ब्राहमण निवासी मक्कासर।
2. सुखमन्दर पुत्र श्री रामकिशन पुत्र श्री मुंशीराम जाति ब्राहमण निवासी मक्कासर।
3. सोमप्रकाश पुत्र श्री रामकिशन पुत्र श्री मुंशीराम जाति ब्राहमण निवासी मक्कासर तहसील व जिला जिला हनुमानगढ़ (राज0)।

–– वादीगण

बनाम

1. रामकिशन पुत्र श्री मुंशीराम जाति ब्राहमण निवासी मक्कासर तह0 हनुमानगढ़।
2. परमजीतकौर पुत्री श्री रामकिशन पत्नि श्री महेन्द्र जी जाति ब्राहमण निवासी हाउसिंग बोर्ड कालोनी, हनुमानगढ जं0 तहसील हनुमानगढ
3. शीलादेवी पुत्री श्री रामकिशन पत्नि श्री सतपाल जाति ब्राहमण निवासी जस्सी तहसील संगत जिला बठिण्डा (पंजाब)
4. तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ़।
5. ओरियन्टल बैंक ऑफ कार्म्स, शाखा हनुमानगढ जं0 जरिये शाखा प्रबन्धक

–– प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner